न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–60 / 2013 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रहीम खां पुत्र श्री मामला जाति मेव निवासी सरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर – मृतक
   1/1. नूरिया पत्नि स्व0 रहीम खां जाति मेव,
   1/2. शमसू पुत्र स्व0 रहीम खां जाति मेव,
   1/3. जमीला पत्नि स्व0 बग्गा पुत्रवधू रहीम खा जाति मेव,
   1/4. सालिम पुत्र स्व0 बग्गा पौत्र रहीम खां जाति मेव,
   1/5. सब्बी पुत्र स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव,
   1/6. मेरहम पुत्री स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव,
   1/7. सन्नी पुत्री स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव निवासीयान ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
   1/8. मिसकोना पुत्री स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव,
   1/9. मिसरो पुत्री स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव,
   1/10. सरमीना पुत्री स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव नाबालिग जर्ये सरपरस्त व वादमित्र माता जमीला जाति मेव निवासीयान ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. रहमान पुत्र श्री घीसा जाति मेव निवासी चौकी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0
2. परसादी पुत्र श्री छज्जू जाति भंगी निवसी सहरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पोडेन्टान

3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
5. भू–आवंटन कमेटी अलवर जरिये अध्यक्ष एस.डी.ओ. अलवर राज0 ।

..... तकमीली रेस्पोडेन्टान

6. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री शिवलाल जाति चमार ।
7. बंशीलाल पुत्र स्व0 श्री शिवलाल जाति चमार ।
8. जयपाल पुत्र स्व0 श्री शिवलाल जाति चमार ।
9. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री शिवलाल जाति चमार।

1 16/7

10. किरण देवी पत्नि स्व0 श्री शिवलाल जाति चमार निवासी नंगला तहसील फिरोजपुर झिरका जिला मेवात (हरियाणा) ।

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

अपील सं0:–66/2013 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री शिवलाल।
2. बंशीलाल पुत्र स्व0 श्री शिवलाल।
3. जयपाल पुत्र स्व0 श्री शिवलाल।
4. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री शिवलाल जाति चमार निवासीयान नाई नंगला तहसील फिरोजपुर ।

..... अपीलांट

बनाम

1. रहमान पुत्र श्री घीसा जाति मेव निवासी चौकी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0
2. रहीम खां पुत्र श्री मामला जाति मेव निवासी सरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर – फौत

2/1. नूरिया पत्नि स्व0 रहीम खां जाति मेव,
2/2. शमसू पुत्र स्व0 रहीम खां जाति मेव,
2/3. जमीला पत्नि स्व0 बग्गा पुत्रवधू रहीम खा जाति मेव,
2/4. सालिम पुत्र स्व0 बग्गा पौत्र रहीम खां जाति मेव,
2/5. सब्बी पुत्र स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव,
2/6. मेरहम पुत्री स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव,
2/7. सन्नी पुत्री स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव निवासीयान ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
2/8. मिसकोना पुत्री स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव,
2/9. मिसरो पुत्री स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव,
2/10. सरमीना पुत्री स्व0 बग्गा पौत्री रहीम खां जाति मेव नाबालिग जर्ये सरपरस्त व वादमित्र माता जमीला जाति मेव निवासीयान ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

3. परसादी पुत्र श्री छज्जू जाति भंगी निवसी सहरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.... असल रेस्पोडेन्टान

4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
5. भू–आवंटन कमेटी अलवर जरिये अध्यक्ष एस.डी.ओ. अलवर राज0 ।

.... तकमीली रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र कुमार जैन / श्री सनत कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–16.07.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक ख0 नं0 246 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा जिसका हाल नम्बर 251 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ़ कायम हुआ है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की है जिस पर वादी का अरसे दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है । यह आराजी पूर्व में वादी को वास्ते काश्त सरकार द्वारा अलाट की गई । साबिक कागजातमाल में भी वादी को इस आराजी का हिस्सेदार अलाटी दर्ज किया हुआ है जिस आराजी पर वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से काबिज काश्त चला आ रहा है और वक्त जारी होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी इस आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त था जिसके कारण वादी को इस आराजी पर हकूक खातेदारी प्राप्त हो गये । साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2018 में भी वादी को इस आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया हुआ है. । इस प्रकार वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है और इस पर काबिज रहकर काश्त करता व लगान अदा करता चला आ रहा है व आज भी मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है । प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई ताल्लुक व वास्ता किसी किस्म का न तो रहा न है, ना इनका कोई कब्जा रहा है एवं यह काबिल काश्त भूमि है जो कभी चारागाह नहीं रही । बन्दोबस्त हाल सम्वत् 2020 होने पर कर्मचारियान बन्दोबस्त द्वारा साबिक रेकार्ड खिलाफवर्जी करते हुए मनमाने तौर पर व गैर कानूनी ढंग से विवादित आराजी को चारागाह दर्ज कर दिया व इसी प्रकार बाद के रेकार्ड में अमल कर दिया जो गलत है और खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है एवं वादी के हकूकों के मुकाबले बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है एवं बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिये जाने योग्य है । उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी सं0 3 भू–आवंटन कमेटी ने विवादित आराजी में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि का आवंटन प्रतिवादी सं0 4 परसादी के हक में व 3 बीघा भूमि का आवंटन प्रतिवादी सं0 5 रहीम खां के हक में दिनांक 01.09.1975 को कर दिया और उसके आधार पर प्रतिवादी सं0 4 के हक में इन्तकाल गैर खातेदारी सं0 132 व प्रतिवादी सं0 5 के हक में इन्तकाल गैर खातेदारी सं0 68 स्वीकार

होकर कागजात माल में अमल हो गया व बाद में प्रतिवादी सं0 4, 5 को खातेदारी हकूक प्रदान कर कागजात माल में विवादित आराजी का खातेदार अंकित कर दिया जो उक्त कार्यवाही व इन्द्राजात गलत हैं और खिलाफ कानून व खिलाफ मौका एवं वादी के हकूकों के मुकाबले बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है । उक्त आवंटन के तहत प्रतिवादी सं0 4, 5 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त न तो रहा न है बल्कि विवादित आराजी पर बदस्तूर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । कागजात माल के गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादी सं0 4 ने विवादित आराजी में से ख0 नं0 251 मिन रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का दस्तावेज बयनामा दि0 28.5.99 को प्रतिवादी सं0 6 बाबूलाल के हक में करा दिया जो बयनामा बिला जरे बदल व बिला कब्जा दिये नुमायशी है और इस बयनामा के तहत इन्तकाल बय सं0 318 स्वीकार होकर कागजात माल में प्रतिवादी सं0 6 के नाम का अमल हो गया जो बयनामा व इसके तहत हुआ इनतकाल व इन्द्राज भी गलत है और खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है । वादी का पूर्व में उक्त गलत इन्द्राज व कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी अब दि0 1.3.2004 को प्रतिवादी सं0 4, 5 व 6 ने विवादित आराजी में वादी के कब्जें काश्त में बाधा डाली व जाहिर किया कि राजस्व रेकार्ड में उनके नाम का इन्द्राज है । इसलिए वह वादी को काश्त नहीं करने देगें व अपना जबरन कब्जा करके व आराजी को दीगर लोगों को रहन, बय, हिबे आदि के मुन्तकिल करके रहेगें । अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 26.07.2013 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 26.07.2013 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

चूंकि दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ इसलिए किया जा रहा है कि प्रकरण में विवादित आराजी एक समान एवं पक्षकार भी एक समान ही है एवं दोनों अपीलांटों ने एक ही तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री के खिलाफ दो अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की है । इसलिए इस न्यायालय द्धारा दोनों अपीलों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में वादी के दावें के तथ्यों एवं स्वयं के जवाब के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । तहत न्यायालय के निर्णय दि0 26.7.2013 के विरूद्ध यह अपील पेश की हैं । सम्वत् 2020 का बन्दोबस्त का हाल ख0 नं0 251 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा व साबिक ख0 नं0 246 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा है । यह दावा रहमान रेस्पो0/वादी का था । इनके अनुसार विवादित आराजी को सरकार ने वादी को आवंटन की है तथा आवंटन दर्ज है । वादी ही सम्वत् 2012 से ही काबिज काश्त है । वादी/रेस्पो0 ने बन्दोबस्त सम्वत् 2020 के इन्द्राजों को चैलेन्ज किया है तथा उसी अनुसार रेकार्ड में दर्ज कराना चाहता है जबकि विवादित आराजी सम्वत् 2020 में

सिवायचक दर्ज कर दी । सन् 1975 में ख0 नं0 251 को दो व्यक्तियों परसादी और रहीम को आवंटन की । दि0 28.05.1999 को परसादी ने अपने हिस्से की जमीन को शिवलाल को बय कर दी जिसका इन्तकाल सं0 132 पर परसादी का नाम है तथा इन्तकाल सं0 68 में रहीम का नाम है तथा इन्तकाल सं0 67 से विवादित आराजी सिवायचक लगानी दर्ज हुई फिर आवंटन हुआ । इन्तकाल सं0 134 से गैर खातेदारी से खातेदारी मिली है । सम्वत् 2033 की जमाबन्दी में रहीम खां 3 बीघा दर्ज है । इसी दौरान अलवर से मथुरा की रेल लाईन हेतु आराजी की आवश्यकता पड़ी तथा उसी ख0 नं0 251 में से 18 बिस्वा रेल विभाग को गयी तथा 18 बिस्वा कम होकर 2 बीधा 2 बिस्वा रह गया जबकि अपीलांट ने विवादित आराजी सालिम की खातेदारी चाही है । आगे कहा कि दावे के समय पेश जमाबन्दी में रेलवे के नाम 18 बिस्वा आराजी है जिसमें उसे पक्षकार नहीं बनाया । तहत न्यायालय में रहमान ने सालिम आराजी का खातेदार घोषित किया है जबकि रेलवे की जमीन का कोई निर्णय नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय गलत है । घोषणात्मक वाद में रेलवे आवश्यक पक्षकार है तो तहत न्यायालय ने कैसे डिक्री कर दी । मेरा पहला बिन्दू यही है कि इस बिनाय पर निर्णय खिलाफ कानून है । द्वितीय बिन्दू मेरा यह है कि सम्वत् 2055 में टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ तब वादी कब्जे में थे तो इसका कोई पट्टा, साक्ष्य नहीं है तथा कोई दस्तावेज वादी ने पेश नहीं किये हैं । इसलिए वादी को तहत न्यायालय ने कैसे आवंटी माना है । सम्वत् 2009 की जमाबन्दी में रहमान हिस्सेदार ऐलोटी दर्ज वल्दियत नहीं है, ख0 नं0 246 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा बंजड़ कदीम दर्ज है । सम्वत् 2013 की जमाबन्दी में भी रहमान हिस्सेदार अलोटी दर्ज है । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2006–09 में काश्तकार का नाम मकबूजा सरकार दर्ज है तथा व 2010–13 में रहमान हिस्सेदार ऐलाटी दर्ज है । उक्त दोनों खसरा गिरदावरियों में ही परिवर्तन आया है । मकबूजा सरकार दर्ज है तो क्यों इस परिवर्तन का कोई नामान्तकरण नहीं आया है । इन्द्राज बदलने के लिए इन्तकाल जरूरी था तथा कोई रेकार्ड वादी ने पेश नहीं किया । खसरा गिरदावरी में कोई जिन्स दर्ज नहीं है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2013, 2010, 2018 में भी बंजड कदीम है काश्त युक्त आराजी नहीं है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि वादी का दावा अपने आपमें ही गलत था । इस इन्द्राजों को चैलेन्ज हीं नहीं किया है । तहत न्यायालय ने दावा गलत डिक्री किया है । सम्वत् 2017–18 की जमाबन्दी में कैसे खातेदार आ गये, क्या आवंटन हुई तो गैर खातेदारी के बाद कोई खातेदारी का इन्तकाल है ? सन् 1977 में वादी ने हम अपीलांट की आवंटन के खिलाफ उज्रदारी पेश की है जो खारिज हो गयी है उसकी कोई अपील नहीं की है । फिर 15 साल बाद पुनः उज्रदारी पेश की है और कहा है कि हमारे नाम से कोई और उज्रदारी कर गया । उज्रदारी आज भी लम्बित है तो डिक्री व दावा किस आधार पर किया गया है । सम्वत् 2009 की खसरा गिरदावरी में भी मकबूजा दर्ज है तथा दि0 18.4.1961 को सरकार के नाम इन्तकाल हुआ है । वादी रहमान पुत्र घीसा के और दूसरा नाम रहमान पुत्र दीना है । विवादित आराजी वक्त आवंटन से आज तक हमारे कब्जे में है । रेस्पो0 का कोई आवंटन नहीं है । सह खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है । राजस्व रेकार्ड में वादी के साबिक इन्द्राज बिना आधार के अविश्वसनीय इन्द्राज हैं । वादी का यह कहना कि बन्दोबस्त विभाग ने इन्द्राज बदल दिये, यह गलत कथन है । हम आवंटी है तथा बन्दोबस्त ने कुछ नहीं बदला है तथा 40 साल से हमारा कब्जा है । तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन

कराया और कहा कि मेरा इन्तकाल सं0 220 कहता है कि ये तो मलूका की जमीन थी । वादी ने तनकी सं0 1 सिद्ध नहीं की तथा ऐसा कोई रेकार्ड भी पेश नहीं किया है । तनकीयात में वादी की खातेदारी गलत मानी है । अपीलांट एडवर्श पजेशन में नहीं है बल्कि अलोटी है । रेलवे को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है । तहत न्यायालय ने दावा गलत डिक्री किया है । तहत न्यायालय ने वादी के पक्ष में गलत खातेदारी प्रदान की है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में 2003 आर.आर.डी. पेज 223,1998 आर.आर.डी. पेज 190, 2010 आर.आर.डी. पेज 605, 2005 आर.आर.डी. पेज 497, 1995 आर.आर.डी. पेज 736, 1987 आर.आर.डी. पेज 473, 2013 आर.आर.टी. पेज 233, 1995 आर.आर.डी. पेज 658, 2016 आर.आर.टी. पेज 77 व 205 पेश की ।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का कथन है कि दोनों अपीलों में साबिक व हाल खसरा नम्बरों का कोई विवाद नहीं है । प्रतिवादी/अपीलांट परसादी को 2 बीघा 4 बिस्वा, रहीम खां को 3 बीघा आराजी रेकार्ड से स्वीकार है । दि0 28.5.1999 को प्रतिवादी सं0 6 को बेचान किया यह तथ्य भी सही है । रकबा 18 बिस्वा रेलवे में चला गया है । घोषणा के वाद में मैंने बयनामा को प्रारम्भ से ही शून्य मानते हुए घोषित कराने की इस्तदुआ की है । आवंटन व सैलडीड को चेलेन्ज किया है । मेरे हक व हकूक के विपरित बातिल और बेअसर है । मेरी उज्रदारी अति0 जिला कलक्टर के यहां पेश की है । राजस्व अपील प्राधिकारी ने दि0 6.5.2008 को प्रकरण अति0 जिला कलक्टर को प्रतिप्रेषित किया है जो लम्बित है । शिवलाल के वारिसान बाबूलाल की अपील है । जवाब का अवलोकन कराया तथा अपील में दस्तावेज पेश किये है । विपक्षी को मौका दिया है, जवाब दावा 5, 6 का संयुक्त है । इन्तकाल सं0 220 का कोई उज्र नहीं किया था । रहमान पाक चला गया कि कोई उज्र नहीं की थी । मेरे तथ्यों का कोई काउन्टर नहीं किया तो साक्ष्य ही क्यों ? अपीलांट ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं की । तहत न्यायालय ने उन्हें अलाउ नहीं किया तथा दस्तावेज को न्यायालय ने नहीं पढ़ा है । इन्तकाल सं0 220 किसलिए मंगाया तथा न्यायालय ने स्वयं क्यों मंगाये तथा क्या दोनों पक्षों को सुना गया था । रहमान पुत्र दीनू की आराजी थी या दानू की । रहमान पाक चला गया तो इवेक्यू प्रोपर्टी हो गयी तो कीमतन आवंटन हो गयी । ये बिन्दू तहत न्यायालय में नहीं आयें तथा अब अपील में क्यों लिये गयें हैं । इसकी कोई साक्ष्य नहीं है । डी.डब्ल्यू.1 स्टेटमेन्ट का अवलोकन कराया । रहीम खां दो भाई थे तथा दानू के दो भाई नहीं है । यह रेकार्ड उम्मेद, रहमान पुत्र घीसा का है । यह रहमान पुत्र दानू का रेकार्ड नहीं है । रेस्पो0 का रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2017, 2013 व 2009 का अवलोकन कराया जिसमें रहमान पुत्र घीसा दर्ज है । दानू का कोई संबंध नहीं है । संयुक्त जवाब में उज्रदारी नहीं है कि दो अलग–अलग नाम है । न साक्ष्य से और न ही रेकार्ड से सम्वत् 2020 से पूर्व रहमान पुत्र दानू की जमींन है ? इन्तकाल सं0 67 पत्रावली पर पेश नहीं है न साबित है तो यह कैसे माना जायेगा कि किस्म परिवर्तन है । मेरा यह कहना है कि चारागाह 2020 में गलत हुई है, रेस्पो0 का दावा यह है कि मैंने रेलवे को इसलिए पक्षकार नहीं बनाया कि रेलवे से कोई रीलीफ नहीं चाही है । हाल जमाबन्दी में वह अलग है तथा 18 बिस्वा के लिए वाद में राईट वेव किये हैं । प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा कम करके अनुतोष दिया जा सकता है । रेस्पो0 को आवंटन पेश करने की आवश्यकता

नहीं हैं । मैंने तो सन् 1955 के रेकार्ड के आधार पर डिक्री चाही है । 30 साल पुराना रेकार्ड मान्य है जिसे पढ़ा जावेंगा । सन् 1955 के वक्त वादी/रेस्पो0 रेकार्ड व साक्ष्य से काबिज था । सम्वत् 2020 में इन्द्राज रिपीट होने चाहिए । इन्तकाल सं0 220 का पुनः अवलोकन कराया जिसमें मकबूजा मालकान में दो नम्बर गये हैं । रहमान पुत्र घीसा का नहीं गया है । उस इन्तकाल में रेस्पो0 का नाम क्यों आ रहा है । रेस्पो0 का कहना है कि नामान्तकरण सं0 220 न तो दावा और न ही जवाब दावा का पार्ट रहा है । अपील में नया तथ्य कैसे आया है इसके लिए न्यायालय बाध्य नहीं है । यह बाबूलाल बनाम सरकार की अपील में पेश किया गया है । रहीम की अपील में नहीं है । इसे न्यायालय किस प्रकार गौर करेगी और विश्वास करेगी । इसमें खसरा नम्बर खाता सं0 17 क्लीन नहीं हैं । मेरा नम्बर मालकान में नहीं है । खेवट नं0 117 के तो गये सरकार में और 118 नम्बर अलग है । तीनों नम्बर 117 में होते तो मान लेते । खेवट सं0 118 अलग है । रेस्पो0 की सम्पति को किस आधार पर सरकार लेगी । क्या रेस्पो0 बिस्वेदार था ? कोई बिन्दू कहीं नहीं था । जमाबन्दी सम्वत् 2017 की थी वह हाथ से 2018 लिखी है जिसे न्यायालय में क्लीयर कर लिया है । रेस्पो0 की उज्रदारी अभी लम्बित है । तहत न्यायालय में मेरी 4 साक्ष्य पेश है जिनका कोई खण्डन अपीलांट ने नहीं किया है । सम्वत् 2020 से पूर्व का रेकार्ड मेरा देखें । रहमान पुत्र घीसा का रेंकार्ड है तथा कब्जा है । रहमान पुत्र दानू कहीं भी नहीं है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरें रेस्पो0 पर लागू नहीं होती है । कब्जा रेस्पो0 का है, अपीलांट का नहीं । साक्ष्य पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य मेरी है, अपींलांट की नही । सह काश्तकार का यहा मामला नहीं है । इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है और तहत न्यायालय का आदेश सही है । उन्होंने अपनें समर्थन में आर.आर.डी. 2003 पेज 175, आर.आर.डी. 2009 पेज 177, 162 व 747, आर.आर.डी. 2008 पेज 336 पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2013 का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की कानूनीं नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

पत्रावली में अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन किया गया और तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2013 का भी अवलोकन किया गया । वादी द्वारा यह दावा तहत न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी पर वह सम्वत् 2055 से काबिज काश्त में रहा है तथा यह आराजी उन्हें सरकार द्वारा आवंटन की गई । इसलिए वह आवंटी के रूप में रेकार्ड में दर्ज है । बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में उक्त आराजी को चारागाह गलत रूप से अंकित किया गया है जबकि वादी के कथनानुसार उसे राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था । वादी के द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर यह घोषणा का वाद तहत न्यायालय में पेश किया जिसे तहत न्यायालय के द्वारा डिक्री किया गया । अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपील में यह तथ्य लिया गया है कि यह आराजी रहमान की हो ऐसा कोई रेकार्ड में स्पष्ट उल्लेख नहीं है । रेकार्ड में रहमान के पिता की वल्दियत का हवाला नहीं है और यह आराजी उन्हें किस प्रकार से आवंटन हुई है, इसका कोई हवाला नहीं है तथा ऐसा कोई इन्तकाल रेकार्ड में पेश नहीं है जिसके आधार पर जरिये नामान्तकरण इन्हें आवंटी दर्ज किया गया हो । वादी अपने आपको रहमान सिद्ध

करने में असफल रहा है और विवादित आराजी रेकार्ड में बंजड़ कदीम किस्म के रूप में दर्ज थी जिसे राजस्व विभाग ने सही रूप से चारागाह दर्ज किया है । अपीलांट के द्वारा अपील में यह भी कानूनी बिन्दू उठाया कि यह आराजी अपीलांट को भू–आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा सन् 1975 में आवंटित हुई थी । नियमों के तहत पहलें चाहागाह जमीन को सिवायचक दर्ज किया गया और उसके बाद अपीलांट को यह आराजी दि0 01.09.1975 को आवंटित की गई । जरिये नामान्तकरण सं0 132 व 68 से आवंटी को गैर खातेदार और फिर खातेदारी प्रदान की गई । बहस में अभिभाषक अपीलांट द्वारा यह कहा गया कि तहत न्यायालय के द्वारा यह निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया गया है क्योंकि वादी/रेस्पो0 के द्वारा अपीलांट को आवंटन की गई आराजी के खिलाफ जिला कलक्टर अलवर के यहां आवंटन निरस्त किये जाने हेतु अपील पेश की गई थी जिसे जिला कलक्टर अलवर ने अपने आदेश दिनांक 13.09.1977 से अपील को खारिज कर दिया, उसके उपरान्त वादी/रेस्पो0 ने राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील पेश की जहां से भी यह अपील दि0 18.08.2006 को खारिज हो चुकी है । अपीलांट के द्वारा यह बताया कि रेस्पो0/वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की है जो अभी विचाराधीन है । अतः ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय के द्वारा इन तथ्यों का अवलोकन किये बिना और वादी का वाद डिक्री किया जो खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं, वह विधिसम्मत नहीं होने से तहत न्यायालय की डिक्री काबिल खारिजी के है ।

अपीलांट के द्वारा बहस में यह भी कहा कि विवादित आराजी से वादी/रेस्पो0 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा अपीलांट का ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है । इस आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें ।

हमने पत्रावली और निर्णय का अवलोकन किया । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील के निस्तारण हेतु यह कानूनी बिन्दू चिन्हित किया कि क्या विवादित आराजी को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन करने और उसके बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बाद वादी/रेस्पो0 द्वारा उस आवंटन के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर अलवर को की गई और वह अपील भी खारिज हो गयी है । उसे उपरान्त राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय से भी वह अपील खारिज हो चुकी है तथा प्रकरण वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में सुनवाई हेतु विचाराधीन बताया तो क्या ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय को इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए दावा वादी डिक्री किया जाना चाहिए ? इस संबंध में रेस्पो0/वादी के द्वारा जो कानूनी नजीरें आर.आर.डी. 2003 पेज 175, आर.आर.डी. 2009 पेज 177, 162, 747 व आर.आर.डी. 2008 पेज 336 पेश की गई जो इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि यहां पर वादी/रेस्पो0 को किस प्रकार से खातेदारी रेकार्ड में प्राप्त नहीं हुई बल्कि रेकार्ड में मकबूजा सरकार एवं किस्म बंजड़ कदीम होने से चारागाह दर्ज की गई । मुख्य कानूनी बिन्दू कि उक्त आराजी का आवंटन अपीलांट को भू–आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दि0 01.09.1975 को किया गया है । अपीलांट रहमान और प्रतिवादी सं0 4 परसादी को किया गया है, वह रेकार्ड व कानूनी रूप से सही था । नियमानुसार विवादित आराजी को जरिये इन्तकाल किस्म परिवर्तन कर सिवायचक

लगानी किया है । तद्उपरान्त खातेदार और खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं । वादी/रेस्पो0 के द्वारा इस आवंटन के विरूद्ध जिला कलक्टर अलवर को अपील पेश की गई, वह भी दि0 13.09.1977 को खारिज कर दी गई और उसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में की गई वह भी निरस्त कर दी गई तथा प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर के यहां विचाराधीन होना बताया । ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया, उसके बावजूद भी तहत न्यायालय के द्वारा प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने के उपरान्त भी दावा वादी डिक्री किया गया है जो कानूनी सम्मत नहीं है और काबिल खारिजी के है । चूंकि वादी/रेस्पो0 को इन तथ्यों की जानकारी थी । इसके बावजूद भी पुनः तहत न्यायालय में दावा पेश करके गलत तथ्यों पर दावा डिक्री करने हेतु दावा पेश किया है । इसलिए अपील अपीलांट काबिल स्वीकार योग्य है और तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है ।

अतः दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अंधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2013 निरस्त किया जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर